Date - 4 April 2022

CJI vs CBI

- हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन.वी. रमण ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) गंभीर सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गया है। इसके कार्यों और निष्क्रियता ने इसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया है।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों में सुधार के प्रयास में, मुख्य न्यायाधीश ने एक छत्र, स्वतंत्र और स्वायत्त जांच एजेंसी का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई):

- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- अब सीबीआई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है।
- सीबीआई को जांच की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है।
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।

सीबीआई से जुड़ी चुनौतियां:

राजनीतिक हस्तक्षेप:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के मामलों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए इसकी आलोचना की और इसे "अपने मालिक की आवाज में बोलने वाला पिंजरा तोता" कहा।
- अपने गलत कामों को छुपाने, गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाने और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए निवर्तमान सरकार द्वारा अक्सर इसका दुरुपयोग किया गया है।

Yojna IAS

व्यापक एजेंसियां:

- वर्तमान में, एक ही घटना की जांच कई एजेंसियों द्वारा की जाती है, जो अक्सर सबूतों को कमजोर करने, परस्पर विरोधी बयानों और निर्दोष लोगों के लिए लंबी जेल की सजा की ओर ले जाती है।

कर्मियों की भारी कमी :

- इसका एक मुख्य कारण सरकार द्वारा सीबीआई के कार्यबल का कुप्रबंधन, अक्षम और अनावश्यक रूप से पक्षपाती भर्ती नीतियों के माध्यम से है, जिसका उपयोग वांछित अधिकारियों को लाने के लिए किया जाता है, जो संगठन की दक्षता को प्रभावित करता है।

सीमित शक्तियां:

- जांच के लिए सीबीआई के सदस्यों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार की सहमति के अधीन हैं, इस प्रकार सीबीआई द्वारा जांच के दायरे को सीमित करता है।

उपयोग प्रतिबंधित:

- केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के कर्मचारियों पर जांच या जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में एक प्रमुख बाधा है।

कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

स्वतंत्र छाता संस्थान का निर्माण:

- CJI ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने का प्रस्ताव किया है।
- इसके संगठन का नेतृत्व एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे एक समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसके द्वारा सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- CJI ने कहा कि अभियोजन और जांच के लिए एक अलग और स्वायत्त शाखा का होना पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त अंतर्निहित सुरक्षा है।
- नियुक्ति समिति द्वारा संस्थान के प्रदर्शन के वार्षिक अंकेक्षण के लिए प्रस्तावित कानून में उचित जांच और संतुलन का प्रावधान होगा।

राज्यों और केंद्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध:

- राज्य सूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था और जांच का भार मुख्य रूप से राज्य पुलिस पर है।
- जांच के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य एजेंसियों को मजबूत किया जाना चाहिए।

Yojna IAS

- एक व्यापक जांच निकाय के लिए प्रस्तावित केंद्रीय कानून को राज्यों द्वारा उपयुक्त रूप से दोहराया जा सकता है।

लैंगिक समानता लाना:

- आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।
- सामाजिक वैधता समय की मांग है ताकि सामाजिक वैधता और जनता का विश्वास पुनः प्राप्त किया जा सके और इसे प्राप्त करने के लिए पहला कदम राजनीतिक कार्यपालिका के साथ गठबंधन को तोड़ना है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार:

- लंबे समय से लंबित पुलिस सुधारों को लागू करने और लंबित मामलों से निपटने की आवश्यकता है।

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा

- हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब स्थानांतरित करने की मांग की गई।
- चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद तब और बढ़ गया जब केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पंजाब सेवा नियमों के बजाय केंद्रीय सेवा नियम अधिसूचित किए।
- पंजाब को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया था, जिसमें पंजाब राज्य को हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी) और पंजाब के कुछ हिस्सों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था।

चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी कब और कैसे बनी?

- भारत के विभाजन के बाद, भारत सरकार भारत में पंजाब के लिए लाहौर की तरह एक सुंदर और आधुनिक राजधानी चाहती थी। इसी समय चंडीगढ़ के विचार की कल्पना की गई थी।
- वर्ष 1966 में, राज्य को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया था, जिसके कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते थे।
- हरियाणा राज्य के गठन तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी रहा।
- पंजाब के पुनर्गठन के दौरान केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि हरियाणा राज्य को अपनी राजधानी मिलेगी।

Yojna IAS

- वर्ष 1970 में, केंद्र ने घोषणा की कि "चंडीगढ़ राजधानी परियोजना क्षेत्र को समग्र रूप से पंजाब में जाना चाहिए"।
- हरियाणा को अपनी राजधानी बनने तक पांच साल के लिए चंडीगढ़ में कार्यालय और आवासीय आवास का उपयोग करने के लिए कहा गया था।
- हालांकि, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा क्योंकि हरियाणा ने इसे अपनी राजधानी नहीं बनाया था।
- पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के अनुसार, चंडीगढ़ में संपत्तियों को पंजाब और चंडीगढ़ के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना था।
- हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर के एक महीने से भी कम समय के बाद, लोंगोवाल की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी।

केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं और वे राज्यों से कैसे भिन्न हैं?

- केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं।
- संविधान का भाग VIII केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
- भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। व्यवहार में इसका मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार की इच्छा का पालन करते हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा संविधान के मूल संस्करण में नहीं थी, लेकिन इसे संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था।
- केंद्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग तरीकों से शासित किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास विधायिका है या नहीं।
- छोटे केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं, उदाहरण के लिए चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली बिना किसी निर्वाचित विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश हैं।
- दूसरी ओर, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में एक विधान सभा है और एक उपराज्यपाल के साथ निर्वाचित सरकार है। नई दिल्ली की स्थिति पूरी तरह से अलग है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य के बीच मौजूद है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, भारत में नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संवैधानिक शक्ति पूरी तरह से भारत की संसद के पास है।
- संसद नए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की घोषणा करके, किसी विशिष्ट क्षेत्र को मौजूदा राज्य से अलग करके या दो या अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों या उसके कुछ हिस्सों का विलय करके ऐसा कर सकती है।

Yojna IAS

प्रधानमंत्री आवास योजना

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण के लाभार्थियों के 21 लाख घरों का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण:

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पूर्ववर्ती 'इंदिरा आवास योजना' (आईएवाई) को ' 01 अप्रैल, 2016 से 'प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

उद्देश्य:

- मार्च 2022 के अंत तक बेघर या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले ग्रामीण परिवारों को आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अप्रयुक्त कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।

लाभार्थी:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, नि:शुल्क बंधुआ मजदूर और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, विधवा महिलाएं, रक्षा कर्मियों के परिजन, भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक।

लाभार्थियों का चयन:

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 सत्यापन के तीन चरणों, ग्राम सभा और भू-टैगिंग के माध्यम से।

YojnaIAS

लागत साझा करना:

- इकाई सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

विशेषताएं:

- खाना पकाने की साफ जगह के साथ न्यूनतम घर का आकार बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से) कर दिया गया।
- मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दिया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा या धन के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त की जाएगी।
- विभिन्न सरकारी सुविधाओं जैसे पाइप से पीने का पानी, बिजली कनेक्शन और एलपीजी गैस कनेक्शन के अभिसरण के प्रयास भी किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी:

- लॉन्च: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 25 जून 2015 को शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी।
- कार्यान्वयन: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय।

विशेषताएं:

- यह शहरी गरीबों (झुग्गी बस्तियों में रहने वालों सहित) के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करके पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान सुनिश्चित करता है।
- यह मिशन पूरे शहरी क्षेत्र (सांविधिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या शहरी नियोजन के कार्य के साथ सौंपे गए राज्य कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण सहित) को कवर करता है।
- PMAY (U) के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से मकानों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
- विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

चार कार्यक्षेत्रों में विभाजित:

Yojna IAS

- निजी भागीदारी के माध्यम से एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए मौजूदा स्लम निवासियों का यथास्थान पुनर्वास।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
- साझेदारी में किफायती आवास।
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर निर्माण/मरम्मत के लिए सब्सिडी।

पांचवां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन: कोलंबो

- हाल ही में बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) समूह का पांचवां शिखर सम्मेलन कोलंबो (श्रीलंका) में आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं:

- बिम्सटेक चार्टर: बिम्सटेक चार्टर पर हस्ताक्षर इस शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम था।
- इस चार्टर के तहत सभी सदस्य दो साल में एक बार मिलते हैं।
- चार्टर के साथ, बिम्सटेक की अब अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है। इसके अलावा इसमें एक प्रतीक है, और एक झंडा भी है।
- इसमें औपचारिक रूप से सूचीबद्ध उद्देश्य और सिद्धांत हैं।
- संगठन के औपचारिक ढांचे को विकसित करने के लिए, सदस्य देशों के नेताओं ने समूह के कामकाज को सात खंडों में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें भारत सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व कर रहा है।
- परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान: शिखर सम्मेलन ने परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान की घोषणा की है, जो क्षेत्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा।
- अन्य समझौते: सदस्य देशों ने भी आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कोलंबो (श्रीलंका) में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा (टीटीएफ) की स्थापना पर एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- भारत (बिम्सटेक) सचिवालय को अपना परिचालन बजट बढ़ाने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा।

बिम्सटेक:

- बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया के पांच सदस्य और म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के दो सदस्य हैं।
- यह उप-क्षेत्रीय संगठन बैंकाक घोषणा के माध्यम से वर्ष 1997 में अस्तित्व में आया।
- विश्व की 7 प्रतिशत आबादी और 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ, बिम्सटेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है।
- बिम्सटेक का सचिवालय ढाका में है।

संस्थागत तंत्र:

- बिम्सटेक शिखर सम्मेलन
- मंत्रिस्तरीय बैठक
- वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
- बिम्सटेक वर्किंग ग्रुप
- व्यापार मंच और आर्थिक मंच

Yojna IAS

Swadeep Kumar